



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

V135
19/7/23

क्रमांक: जविप्रा/उपायुक्त जोन-1/2023/डी-2602

दिनांक:- 19/7/23

जनसम्पर्क अधिकारी
जविप्रा, जयपुर।

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	भूखण्ड संख्या	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	1. श्री विवेक व्यास 2. अभिषिप्त व्यास.	पी-14	जविप्रा	सी-स्कीम	नाम हस्तान्तरण एवं पट्टा	मृत्यु प्रमाण एवं अपंजीकृत वसीयतनामा

उपायुक्त जोन-1
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:जविप्रा/उपा/जोन-11/2023/डी-2040

दिनांक 18/7/23

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	मूखण्ड संख्या	मूखण्ड क्षेत्रफल व.मी. में	गृ.नि.स.स. /निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	(1) श्रीमती किरण देवी	श्री मुरारीलाल सोनी पुत्र	949	600	जविप्रा	TEELAWAS	नाम हस्तांतरण	मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं हकत्याग पत्र
2.	पत्नी स्व. श्री मुरारीलाल सोनी हि. 1/2 (2) श्री राजीव सोनी पुत्र स्व. श्री मुरारीलाल सोनी हि. 1/4	स्व. श्री कृपा शंकर सोनी	431C	445.77	जविप्रा	Kalwada	नाम हस्तांतरण	
3.	(3) श्री संदीप सोनी पुत्र स्व. श्री मुरारीलाल सोनी हि. 1/4		404C	189.15	जविप्रा	Kalwada	नाम हस्तांतरण	

उपायुक्त जोन-11
जविप्रा, जयपुर।

उपायुक्त जोन-11
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि: जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - {+91-141-2574798} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {7402} फैक्स - +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा/उपा.1/जोन-1/2023/डी- 2595

दिनांक:- 18/7/23

प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन आम सूचना

राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम-2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम-2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न भूखण्ड के आवेदक द्वारा अपनी संपत्ति का भू-उपयोग परिवर्तन करवाये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिनका विस्तृत विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट- <https://jda.rajasthan.gov.in/> एवं जोन कार्यालय में देखा जा सकता है। इस संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था आदि को कोई आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 07 दिवस में मध्य दरतावेज सम्बंधित कार्यालय अथवा सचिव, जयपुरा को प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	जोन	आवेदक का नाम	भूखण्डधारी का नाम	भूखण्ड/खसरा संख्या	पट्टा विलेख में वर्णित भू-उपयोग	योजना का नाम (गृ.नि.स. स./निजी खातेदारी योजना)	भूखण्ड क्षेत्रफल	मास्टर प्लान-2025 /जोनल विकास योजना अनुसार भू-उपयोग	उपयोग जिसके लिए आवेदन किया गया
1.	01	आदिनाथ विल्डकॉन प्रा.लि.	आदिनाथ विल्डकॉन प्रा.लि.	खसरा नं-50/3 ग्राम रोडाला, हवा राडक अजमेर रोड, जयपुर।	आवासीय	निजी खातेदारी	3167.27 वर्ग.	मिश्रित	मिश्रित

उपायुक्त, जोन-1
जयपुरा
जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निदेशक (नगर आयोजना), जयपुरा जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मा. प्लान), जयपुरा, जयपुर।
3. जनसंपर्क अधिकारी, जयपुरा, जयपुर को भिजवाकर लेख है कि उक्त आम सूचना के लघुरूप का निम्नानुसार दो सैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर समाचार पत्रों की प्रतियाँ इस कार्यालय को प्रेषित करें।

उपायुक्त, जोन-1
जयपुरा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपायुक्त जोन-1/2023/डी- 2596


दिनांक:- 18/7/23

जनसम्पर्क अधिकारी
जविप्रा

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	भूखण्ड संख्या	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्रीमती मनमरी देवी पत्नी स्व. श्री लल्लूराम	ई-90	जविप्रा	झालाना फेज-11	नामहस्तान्तरण पत्र एवं पट्टा	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं रजि. हकत्याग पत्र


उपायुक्त जोन-1
जविप्रा, जयपुर।


क्रमांक: जविप्रा/उपा. जोन-8/2023/डी- 1883

दिनांक: 17/7/23


आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्र	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती रसीदा पत्नी श्री अजीज मोहम्मद	श्री रज्जाक मोहम्मद पुत्र श्री मोहम्मद अजीज	एफ-885	-	जविप्रा योजना	गोविन्दपुरा	नाम हस्तान्तरण पत्र जारी करने हेतु	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं सजरा प्रमाण पत्र के आधार पर


उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिबिम्ब :- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें। कृपया प्रकाशन से पूर्व PROOF की जांच कर लें।


उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

क्रमांक:जविप्रा/उपा. जोन-8/2023/डी-1888

दिनांक:- 17/7/23

प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन

निजी खातेदारी की आवासीय योजना गणेश नगर के भूखण्ड संख्या 3 क्षेत्रफल 322.66 वर्ग मीटर का आवासीय प्रयोजनार्थ एकल प्लॉट जोन के पत्र क्रमांक डी-152 दिनांक 13.04.2007 के द्वारा श्री संदीप शर्मा पुत्र श्री गजानन्द शर्मा को जारी किया गया था। नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम-2010 के अंतर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 24.02.2021 राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम-2021 के बिंदु संख्या-2 के उपबिंदु संख्या-4 के क्रम में भू-उपयोग परिवर्तन आवासीय से मास्टर प्लान/जोनल प्लान में दर्शित व्यावसायिक भू-उपयोग प्रयोजनार्थ किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त भूखण्ड के साईट प्लान अनुसार उत्तर दिशा की ओर भूखण्ड संख्या 18, दक्षिण दिशा की ओर 100 फीट रोड, पूर्व दिशा की ओर भूखण्ड संख्या 2 एवं पश्चिम दिशा की ओर भूखण्ड संख्या 4 स्थित है।

कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था इस सूचना के दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस की कालावधि के भीतर उपरोक्त भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति/सुझाव निम्न हस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त कालावधि में आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। सूचित रहें।

यह विज्ञापित आज दिनांक 17/7/23 को जारी की गई।

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि :- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें। कृपया प्रकाशन से पूर्व PROOF की जांच कर लें।

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा. जोन-8/2023/डी-1892

दिनांक 18/7/23

आम सूचना

निम्न आवेदक द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भू.सं.	भू.क्ष. (व०ग. में)	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी योजना / जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री हनुमान सहाय कुमावत पुत्र श्री गोपी राम कुमावत	श्री रामकरण, हनुमान पुत्रान श्री राम कुमावत	19	200	सित्र गृ.नि.स.स.	अशोक विहार ए	फ्री होल्ड	सदस्यता सूची में नाम अंकित नहीं होने एवं अपंजीकृत दस्तावेज होने से।
2	श्री सुबोध अग्रवाल पुत्र स्व० श्री संतोष कुमार	श्री संतोष कुमार पुत्र स्व० श्री रामचरण केजरीवाल	आर-164	166.66	निजी खातेदारी	नारायण विहार आर ब्लॉक	फ्री होल्ड	मृत्यु उपरान्त एवं अपंजीकृत वसीयत होने से।
3	श्री विजय शर्मा पुत्र स्व० श्री सीताराम शर्मा	श्री प्रताप राय पुत्र स्व० श्री भगवतीमल माथुर	आर-69	127.27	सांगोनर कॉ.हा.सो.	श्री गणपति नगर	फ्री होल्ड	अपंजीकृत इकरारनामे से उक्त भूखण्ड का बैचान होने से।

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर सभाचार पत्र में कराने का श्रम करावें। कृपया प्रकाशन से पूर्व PROOF की जांच कर लें।

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (8310): फैक्स - +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:जविप्रा/उपा/जोन-11/2023/डी-2025

दिनांक /

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री अनुराग पारिक पुत्र श्री बंशीधर पारिक	श्री ओम प्रकाश केडिया पुत्र श्री नारंगराम केडिया	एस-135	54 वर्गमीटर	जविप्रा	ग्राम कलवाडा	लीजडीड	नाम प्रतिस्थापन पत्र

उपायुक्त जोन-11
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:- जन-सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

उपायुक्त जोन-11
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/102696

157-3238

DATED- 18/7/23

लोक सूचना

खातेदार आवेदक मैसर्स गुलमोहर डवलपर्स जरिये पार्टनर श्री प्रभात कुमार पालीवाल निवास ई-5 एम.आई.ए. मालवीय नगर, जयपुर द्वारा इस कार्यालय मे नीचे उल्लेखित भूमि का वाणिज्य उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

जिले सहित ग्राम तहसील का नाम	खातेदार का नाम एवं पता	खसरा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर
ग्राम-नृसिंहपुरा उर्फ रिक्शा तहसील-सांगानेर जिला-जयपुर	मैसर्स गुलमोहर डवलपर्स जरिये पार्टनर श्री प्रभात कुमार पालीवाल निवास ई-5 एम.आई.ए. मालवीय नगर, जयपुर	539	0.3700 हैक्टेयर
		541 / 637	0.2100 हैक्टेयर
		541 / 638	0.2900 हैक्टेयर
		733 / 541	0.0150 हैक्टेयर
		735 / 541	0.1150 हैक्टेयर
		738 / 540	0.0250 हैक्टेयर
		719 / 546	0.0100 हैक्टेयर
		743 / 399	0.0200 हैक्टेयर
		751 / 539	0.0300 हैक्टेयर
		749 / 538	0.0300 हैक्टेयर
	747 / 537	0.0100 हैक्टेयर	
कुल		कुल किता 11	रकबा 1.1250 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

112
समाप्त जोन 9

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302004 जयपुर

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (8320); फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल (abusufiyan.ras@gmail.com)



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/102710

157-2249

DATED: 19/7/23

लोक सूचना

खातेदार आवेदक श्री अजय कुमार पुत्र श्री घासीलाल हिस्सा 196/353, निवासी ए-9 जे पी कॉलोनी टोंक फाटक, जयपुर द्वारा इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का आवासीय उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

जिले सहित ग्राम तहसील का नाम	खातेदार का नाम एवं पता	खसरा संख्या	क्षेत्रफल हेक्टेयर
ग्राम-सिरोली तहसील-सांगानेर जिला-जयपुर	श्री अजय कुमार पुत्र श्री घासीलाल हिस्सा 196/353, निवासी ए-9 जे पी कॉलोनी टोंक फाटक, जयपुर	3471/1524	0.0980 हेक्टेयर
	कुल	कुल किता 01	रकबा 0.0980 हेक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दरतावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 19/7/23 को जारी की गयी।

उपायुक्त जे.पी.ओ. अधिकारी जोन-9
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपी-जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुरा, जयपुर को आम सूचना का प्रकाशन कराये जाने हेतु प्रेषित है।

उपायुक्त जे.पी.ओ. अधिकारी जोन-9
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

[रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा संकल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : इपीबीएक्स : +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (8320) फ़ैक्स: +91-141-2574555

ई-मेल (jda.urban.rajasthan@gmail.com)



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jaipururban.rajasthan.gov.in

LU2012/JDA/2022-23/102712

157-3250

DATED- 19/7/22

लोक सूचना

खातेदार आवेदक राजेन्द्र खोडा पुत्र दीनदयाल खोडा निवासी राजीव गांधी नगर गोनेर रोड खातीपुरा, दांतली सांगानेर द्वारा इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का आवासीय उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

जिले सहित ग्राम तहसील का नाम	खातेदार का नाम एवं पता	खसरा संख्या	क्षेत्रफल हेक्टेयर
ग्राम-सिरोली	राजेन्द्र खोडा पुत्र दीनदयाल खोडा	2511	0.1000 हेक्टेयर
तहसील-सांगानेर	निवासी राजीव गांधी नगर गोनेर रोड	2512	0.1000 हेक्टेयर
जिला-जयपुर	खातीपुरा, दांतली सांगानचेर		
	कुल	कुल किता 02	रकबा 0.2000 हेक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज, 19/7/22 को जारी की गयी।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिनिधी-जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर को आम सूचना का प्रकाशन कराये जाने हेतु प्रेषित है।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

[रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-+91-141-2569696 (ऑफिस) ईमेल-+91-141-2569696 एक्सटेंशन. (8320) फ़ैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल (300sujyani@gmail.com)



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/102711

SI- 3248

DATED- 19/7/23

लोक सूचना

खातेदार आवेदक घासीलाल पुत्र केसरलाल निवासी 20क, मीणो का मोहल्ला ढूँटोली, चाकसू जयपुर द्वारा इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का आवासीय उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

जिले सहित ग्राम तहसील का नाम	खातेदार का नाम एवं पता	खसरा संख्या	क्षेत्रफल हेक्टेयर
ग्राम-सिरोली	घासीलाल पुत्र केसरलाल निवासी 20क	1431	0.1100 हेक्टेयर
तहसील-सांगानेर	मीणो का मोहल्ला ढूँटोली चाकसू जयपुर	1432	0.0900 हेक्टेयर
जिला-जयपुर		1435	0.1800 हेक्टेयर
	कुल	कुल किता 03	रकबा 0.3800 हेक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 83 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एराएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईफॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 19/7/23 को जारी की गयी।

उपायुक्त जोन-9
प्रो. अधिकारी जोन-9
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपी-जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर, जयपुर को आम सूचना का प्रकाशन कराये जाने हेतु प्रेषित है।

उपायुक्त जोन-9
प्रो. अधिकारी जोन-9
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

[रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सक्ति, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-राज्य-विशेष कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन. (8320); फ़ैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल { abusufyan_ras@gmail.com }



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर


www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ. नोट

विषय:- लोक सूचना का समाचार पत्र में प्रकाशन करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम सालगरामपुरा, तहसील सांगानेर के संलग्न खसरांनुसार विज्ञप्ति का प्रारूप तैयार कर राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाने हेतु प्रेषित है।

संलग्न - 1


उत्पादन नं-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांक: एफ/ज.वि.प्रा./जोन-14/2023/डी-1654

दिनांक:- 19/07/2023

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102708

दिनांक: 19/07/2023

लोक सूचना

श्री RAM SINGH RAJAWAT पुत्र श्री GUMAN SINGH RAJAWAT जाति RAJPUT निवासी 317-A, MAHAVEER NAGAR 1ST, TONK ROAD, DURGAPURA, JAIPUR, RAJ.

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	सालगरामपुरा, सांगानेर (जयपुर)	RAMSINGH RAJAWAT	260	9000	0.9
कुल					0.9

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 19-07-2023 को जारी की गयी।

उपस्थित
प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102660

दिनांक: 18/07/2023

लोक सूचना

मैसर्स उदयराज ड्रीम बिल्डर्स प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री नटवर सिंह पुत्र श्री मोर सिंह पंजीकृत कार्यालय जी-1, ई-193, दादू दयाल नगर, मानसरोवर, जयपुर।


ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	किशोरपुरा, सांगानेर (जयपुर)	मैसर्स उदयराज ड्रीम बिल्डर्स प्रा.लि. पंजीकृत कार्यालय जी-1, ई-193, दादू दयाल नगर, मानसरोवर, जयपुर।	541/6	1150	0.1150
			7	4600	0.46
			7/493	700	0.07
कुल					0.6450

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **18-07-2023** को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102695

दिनांक: 18/07/2023

लोक सूचना

मैसर्स उदयरराज ड्रीम बिल्डर्स प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री नटवर सिंह पुत्र श्री मोर सिंह पंजीकृत कार्यालय जी-1, ई-193, दादू दयाल नगर, मानसरोवर, जयपुर एवं गोरू राम पुत्र श्री चुनाराम जाति बलाई निवासी समना, पोस्ट रींगन, जिला नागौर।


ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	किशोरपुरा, सांगानेर (जयपुर)	मैसर्स उदयरराज ड्रीम बिल्डर्स प्रा.लि. पंजीकृत कार्यालय जी-1, ई-193, दादू दयाल नगर, मानसरोवर, जयपुर।	542/6	5750	0.5750
			540/6	150	0.0150
			546/4	6300	0.63
		गोरू राम पुत्र श्री चुनाराम जाति बलाई निवासी समना, पोस्ट रींगन, जिला नागौर।	539/6	950	0.0950
			543/3	100	0.010
			545/4	600	0.06
			8	400	0.04
			9	5200	0.52
			कुल		

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **18-07-2023** को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102703

दिनांक: 19/07/2023

लोक सूचना

मैसर्स रिद्धि सिद्धि इंटरप्राइजेज जारिये पार्टनर श्री मुकेश यादव पंजीकृत कार्यालय 158, महावीर नगर बी, बाबा पैराडाईज के पास, गोल्यावास, मानसरोवर, जयपुर।

विनायक डवलपर्स जारिये पार्टनर श्री मुकेश यादव पंजीकृत कार्यालय 158, महावीर नगर बी, बाबा पैराडाईज के पास, गोल्यावास, मानसरोवर, जयपुर।

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	अभयपुरा, सांगानेर (जयपुर)	मैसर्स रिद्धि सिद्धि इंटरप्राइजेज पंजीकृत कार्यालय 158, महावीर नगर बी, बाबा पैराडाईज के पास, गोल्यावास, मानसरोवर, जयपुर।	120	900	0.09
			121	100	0.010
			119	1400	0.14
		विनायक डवलपर्स पंजीकृत कार्यालय 158, महावीर नगर बी, बाबा पैराडाईज के पास, गोल्यावास, मानसरोवर, जयपुर।	118	6800	0.68
			126	300	0.03
			127	2600	0.26
			128	3100	0.31
			129	200	0.02
			209/1000	700	0.07
				कुल	1.61

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान मू-राजस्थ अधिनियम, 1958 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारी के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 19-07-2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

**कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर**

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102701

दिनांक: 19/07/2023

लोक सूचना

मैसर्स रिदि सिद्धि इन्टरप्राइजेज् जैरिटे पार्टनर श्री मुकेश यादव पंजीकृत कार्यालय 168, महावीर नगर बी, बाबा पेरडाईज के पास, गोल्यावास, मानसरोवर, जयपुर।

विनायक इन्टरप्राइजेज् जैरिटे पार्टनर श्री मुकेश यादव पंजीकृत कार्यालय 158, महावीर नगर बी, बाबा पेरडाईज के पास, गोल्यावास, मानसरोवर, जयपुर।

वे इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अनिश्चित अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्-

क्र.सं.	ग्राम/तहसील/जिला	आवेदक/कार्यालय	खसरा स.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (इंक्टे)
	जयपुर/सामानिर/जयपुर	मैसर्स रिदि सिद्धि इन्टरप्राइजेज् पंजीकृत कार्यालय 168, महावीर नगर बी, बाबा पेरडाईज के पास, गोल्यावास, मानसरोवर, जयपुर।	13	3100	0.31
		विनायक इन्टरप्राइजेज् पंजीकृत कार्यालय 158, महावीर नगर बी, बाबा पेरडाईज के पास, गोल्यावास, मानसरोवर, जयपुर।	123	2400	0.24
			154	300	0.03
			116	3700	0.37
			122	1200	0.12
					1.07

समाप्त इस प्रकार उक्त वर्णित व्यक्तियों को संबंधित भूमि का निर्वापन हेतु किसी व्यक्ति को प्रस्तावित प्रयोजन के लिए 1953-54 के चार 90 के धारा 90 के अंतर्गत अधिनियम 1955 की धारा 83 के अंतर्गत प्रयोजन के लिए भूमि के उपयोग हेतु, अर्थात् प्रत्येक वर्ग में धारा 90 अधिनियम के निर्वापन के अंतर्गत प्रयोजन के लिए भूमि के प्रयोजन के 7 दिन के भीतर भीतर अपने प्रस्तावों को जिन 90-A For Development Authority (UDA) अधिनियम के अंतर्गत प्रयोजन के अंतर्गत प्रयोजन को अपलोड

प्रस्तावों को जिन 90-A For Development Authority (UDA) अधिनियम के अंतर्गत प्रयोजन के अंतर्गत प्रयोजन को अपलोड

प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर





जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर


www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ. नोट

विषय:- लोक सूचना का समाचार पत्र में प्रकाशन करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम बासडी जोगियान, तहसील माधोराजपुरा के संलग्न खसरांनुसार विज्ञापित का प्रारूप तैयार कर राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाने हेतु प्रेषित है।

संलग्न - 1


प्रमुख
जोन-14, जविप्रा, जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांक: एफ/ज.वि.प्रा./जोन-14/2023/डी-1656
दिनांक:- 19/07/2023

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102714


दिनांक: 19/07/2023

लोक सूचना

श्री GOKUL KRIPA COLONIZERS & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED THROUGH ITS SIGNATURE AUTHORITY LOKESH YADAV पुत्र श्री SHYAMLAL YADAV जाति YADAV निवासी 702-703, OKAY PLUS SQUARE

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	बासडी जोगियान, माधोराजपुरा (जयपुर)	GOKUL KRIPA COLONIZERS & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED THROUGH ITS AUTHORIZED SIGNATORY LOKESH YADAV	260	3288	0.3288
2.	बासडी जोगियान, माधोराजपुरा (जयपुर)	GOKUL KRIPA COLONIZERS & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED THROUGH ITS AUTHORIZED SIGNATORY LOKESH YADAV	261	4932	0.4932
3.	बासडी जोगियान, माधोराजपुरा (जयपुर)	GOKUL KRIPA COLONIZERS & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED THROUGH ITS AUTHORIZED SIGNATORY LOKESH YADAV	262	6449	0.6449
4.	बासडी जोगियान, माधोराजपुरा (जयपुर)	GOKUL KRIPA COLONIZERS & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED THROUGH ITS AUTHORIZED SIGNATORY LOKESH YADAV	267	11254	1.1254
5.	बासडी जोगियान, माधोराजपुरा (जयपुर)	GOKUL KRIPA COLONIZERS &	268	19220	1.922



		DEVELOPERS PRIVATE LIMITED THROUGH ITS AUTHORIZED SIGNATORY LOKESH YADAV			
6.	बासडी जोगियान, माधोराजपुरा (जयपुर)	GOKUL KRIPA COLONIZERS & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED THROUGH ITS AUTHORIZED SIGNATORY LOKESH YADAV	270	1123	0.1123
7.	बासडी जोगियान, माधोराजपुरा (जयपुर)	GOKUL KRIPA COLONIZERS & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED THROUGH ITS AUTHORIZED SIGNATORY LOKESH YADAV	1249/1182	800	0.02
8.	बासडी जोगियान, माधोराजपुरा (जयपुर)	GOKUL KRIPA COLONIZERS & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED THROUGH ITS AUTHORIZED SIGNATORY LOKESH YADAV	1178/272	5566	0.5566
9.	बासडी जोगियान, माधोराजपुरा (जयपुर)	GOKUL KRIPA COLONIZERS & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED THROUGH ITS AUTHORIZED SIGNATORY LOKESH YADAV	273	4173	0.4173
10.	बासडी जोगियान, माधोराजपुरा (जयपुर)	GOKUL KRIPA COLONIZERS & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED THROUGH ITS AUTHORIZED SIGNATORY LOKESH YADAV	274	10116	1.0116
11.	बासडी जोगियान, माधोराजपुरा (जयपुर)	GOKUL KRIPA COLONIZERS & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED THROUGH ITS AUTHORIZED SIGNATORY LOKESH YADAV	275	16312	1.6312
12.		GOKUL KRIPA	276	7587	

	बासडी जोगियान, माधोराजपुरा (जयपुर)	COLONIZERS & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED THROUGH ITS AUTHORIZED SIGNATORY LOKESH YADAV			0.7587
13.	बासडी जोगियान, माधोराजपुरा (जयपुर)	GOKUL KRIPA COLONIZERS & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED THROUGH ITS AUTHORIZED SIGNATORY LOKESH YADAV	1237/277	1250	0.125
14.	बासडी जोगियान, माधोराजपुरा (जयपुर)	GOKUL KRIPA COLONIZERS & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED THROUGH ITS AUTHORIZED SIGNATORY LOKESH YADAV	1243/285	2850	0.285
15.	बासडी जोगियान, माधोराजपुरा (जयपुर)	GOKUL KRIPA COLONIZERS & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED THROUGH ITS AUTHORIZED SIGNATORY LOKESH YADAV	1245/286	3150	0.315
16.	बासडी जोगियान, माधोराजपुरा (जयपुर)	GOKUL KRIPA COLONIZERS & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED THROUGH ITS AUTHORIZED SIGNATORY LOKESH YADAV	1247/289	1930	0.193
कुल					10

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **19-07-2023** को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी-जोन-14